ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रवीण कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती सीता देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.13 से 12.08.13
2	श्री गगन सिंह	13.08.13 से 05.10.15
3	श्री ओंकार सिंह	06.10.15 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत सुरडवां के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.12
2	9	अनुदानों का उपयोग न करना	12.31
3	10	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	9.19

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 29.07.2016 से 01.09.16 तक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 04/13, 11/14, 4/15 व 1/14, 8/14, 7/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143 दिनांक 01.09.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सुरडवां से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत सुरडवां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04. 2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत सुरडवां के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वःस्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	151726	708056	859782	555358	304424
2014–15	304424	478994	783418	420133.50	363284.50
2015–16	363284.50	203448.50	566733	465830	100903

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत सुरडवां के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	604416	2828472.15	3432888.15	3166509.15	266379
2014–15	266379	2035907.50	2302286.50	216̣4341	137945.50
2015–16	137945.5	2099367.50	2237313	1006306.50	1231006.50
	दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)				**₹1331909.50**
					₹1331909.50

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि का नाम	इन्दौरा स्थित KCCB खाता सं0	राशि
1	सामान्य निधि	20076007260	100496
2	आई0ए0वाई0	50055738600	शून्य
3	13वां वित्त	50055730576	1141360
4	आई0डब्लयू0एम0पी0 IWMP	50058928473	4237
5	टी0एस0सी0 TSC	50055738644	85409.50
6	मनरेगा	2492000100002927	0
		योग	**₹1331502.50**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार शेष	₹1331909.50
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹1331502.50
(ग)	**हस्तगत राशि**	**₹407.00**

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख

जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ₹0.12 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

	वर्ष			
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
50055738600	485	1286	403	2174
50058928473	4209	–	92	4301
50055730576	2385	974	2599	5958
जोड़	**7079**	**2260**	**3094**	**12433**

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को

बनाए जाने का उद्देश्य आप व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्व स्त्रोत जैसे कि गृह कर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत द्वारा उक्त सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अनुदान ₹12.31 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1231006 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.19 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹919310 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹23.27 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक संकर्म के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹2327132 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार सहभागी समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 34/2016–खण्ड–1–6546–6549 दिनाँकः 16.12.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा 10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	मनरेगा	44 / 21.12.13	श्री स्वतन्त्र सिंह द्वारा सामग्री की आपूर्ति का भुगतान	63510
2	मनरेगा	45 / 31.12.13	श्री रघुवीर सिंह द्वारा आपूर्ति किए गए गटका का भुगतान	98000
3	मनरेगा	54 / 30.1.14	श्री रघुवीर सिंह द्वारा आपूर्ति किए गए पत्थरों के लिए भुगतान	88800
4	मनरेगा	10 / 4.7.14	श्री अमर सिंह द्वारा आपूर्ति किए गए रेत, पत्थर बजरी के लिए भुगतान	83000
5	मनरेगा	13 / 28.8.14	श्री अमित कुमार द्वारा आपूर्ति किए गए रेत, पत्थर बजरी का भुगतान	50400
6	मनरेगा	14 / 28.8.14	श्री अमित कुमार द्वारा रेत, बजरी पत्थर, सीमेन्ट की ढुलाई हेतु भुगतान	56000
7	मनरेगा	22 / 22.9.14	श्री अमित कुमार द्वारा आपूर्ति किए गए पत्थर बजरी रेत आदि के लिए भुगतान	52000
8	मनरेगा	शून्य / 22.9.14 CBP-62	श्री अमित कुमार द्वारा आपूर्ति किए गए रेत, बजरी आदि के लिए भुगतान	81200
9	मनरेगा	CBP-1 / 2.5.15	–यथोपरि–	58200
10	मनरेगा	CBP-1 / 2.5.15	–यथोपरि–	58200
11	सामान्य	12 / 26.4.13	श्री रणवीर सिंह द्वारा आपूर्ति किए गए रेत बजरी पत्थर आदि के लिए भुगतान	31000
12	सामान्य	18 / 10.5.13	वीट वैल राज रानी घघवां के लिए मै0 चौधरी डीप वीट वैल को भुगतान	100000
13	सामान्य	20 / 10.5.13	रेत, बजरी आदि की आपूर्ति के लिए भुगतान	40000
14	सामान्य	24 / 10.5.13	रेत, बजरी आदि की आपूर्ति के लिए भुगतान	59000
				₹919310

ग्राम पंचायत सुरडवां, विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन का विवरण

(परिशिष्ट–3) (पैरा 12 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	अनुमानित राशि
1	मनरेगा	निर्माण जीप योग्य रास्ता मुख्य मार्ग से विजय कुमार के घर तक	499622
2	मनरेगा	निर्माण रास्ता पीर बाबा से शमशान घाट मलकाना तक	199974
3	मनरेगा	निर्माण डंगा प्रशोतम लाल की जमीन में	255348
4	मनरेगा	निर्माण रास्ता मेन सड़क से मदन लाल के घर तक मलकाना	194502
5	मनरेगा	निर्माण सुरक्षा दीवार बाबू राम पठानिया की जमीन में	496846
6	सामान्य (पंचायत समिति)	निर्माण सरायं घघवां	187989
7	वाटर शैड	निर्माण क्रेट वर्क मेहडी जौला घघवां वार्ड–2	492851
			₹2327132